

पालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
115/2025

दायर दिनांक
05.06.2025

निर्णय दिनांक
26.06.2025

अनवान

1. कैलाश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. धीरज पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मंजु पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. शुभम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उंकार पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. सुरेश पुत्र माधव लाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. बेजनाथ पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम सियार घाटी नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)।
4. प्रकाश चन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. अनिल पुत्र मथुरालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. भगवान दास पुत्र मांगुदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. राधेश्याम पुत्र छोगालाल जाति जोशी आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. चुन्नीलाल पुत्र मूलदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. रामदयाल पुत्र नाथुलाल जाति राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच
एकतरफा



अप्रार्थीगण
प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ Page | 1

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 113 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1034/521, 462, 463, 464, 465, 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 742 कुल किता 13 कुल रकबा 5.55 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6 से 9 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 5 ने हाजिर होकर पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 113 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1034/521, 462, 463, 464, 465, 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 742 कुल किता 13 कुल रकबा 5.55 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवादाका)
उपस्थान अधिकारी
(उपस्थान अधिकारी)
कपासन
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
Page | 2